दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 19 फ़रवरी, 2024
निर्णय उद्घोषित: 28 मई, 2024

सि.वि.(मु.) 1904/2024, सि.वि.आ. 9840/2024-रोक

मैसर्स इंटरनेशनल प्रिंट ओ पी.ए.सी. लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री ईशान कार्की, अधिवक्ता।

बनाम

ए.वी.जी. लॉजिस्टिक्स लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा :श्री आदित्य जैन, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शालिंदर कौर

निर्णय

1. विद्वान ज़िला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय-05, साकेत न्यायालय, दिल्ली द्वारा सि.वा.(वाणि.) 101/2021 में पारित दिनांक 23.11.2023 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वर्तमान याचिका दायर करके इस न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को लागू करने का विकल्प चुना है।

2. वर्तमान याचिका से निपटने के लिए, इस मुद्दे की समग्र समझ हासिल करने के लिए तथ्यों को प्रगणित करना महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जो पुस्तकों,

पत्रिकाओं, कैलेंडर, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य को छापने के लिए प्रकाशन सेवा प्रदान करती है। प्रत्यर्थी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है और भांडागरण, सैन्यतंत्र, परिवहन और पोतलदान के व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं. 1 है और प्रत्यर्थी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी है।

3. जून, 2018 में याचिकाकर्ता ने अपने माल को अपने विभिन्न ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए प्रत्यर्थी को काम पर रखा था और इसके लिए दर पर फ़ोन कॉल या ईमेल के माध्यम से सहमति बनी थी। प्रत्यर्थी अपने ट्रकों को माल की लदाई के लिए याचिकाकर्ता के कारखाने में भेजेगा, जहाँ एक परेषण पत्र तैयार किया जाएगा और उसके बाद माल याचिकाकर्ता के ग्राहकों को, उनसे एक अभिस्वीकृति पत्र लेने के बाद, दिया जाएगा। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, भुगतान के लिए याचिकाकर्ता को एक चालान दिया जाएगा।

4. व्यवसाय के दौरान, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को देय 20,64,195 रुपये की राशि का भुगतान करने में चूक की। प्रत्यर्थी ने उसी के संबंध में 25.02.2020 को एक विधिक नोटिस जारी किया। इसके बाद प्रत्यर्थी ने 08.02.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान सिविल वाद दायर किया, जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी ने 25,30,044/- रुपये की राशि का दावा किया, जिसमें 24% प्रति वर्ष की दर से वादकालीन और भविष्य का ब्याज शामिल है।

5. प्रत्यर्थी के प्रकथनों का खंडन करते हुए, याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान में कहा कि उस पर प्रत्यर्थी की कोई राशि बकाया नहीं है। उसी दिन, याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके पश्चात् "सि.प्र.सं.") की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 10 के अंतर्गत

एक आवेदन भी दायर किया, इस आधार पर कि वाद हेतुक नोएडा, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था।

6. प्रत्येक परेषण पत्र से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का माल उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में लादा गया था जिसका पता सी-4 से सी-11, होज़री कॉम्प्लेक्स, नोएडा फेज-II एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश, 201305 है। प्रत्येक परेषण पत्र और चालान याचिकाकर्ता के उपर्युक्त कार्यालय को बिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी पत्राचार और लेन-देन याचिकाकर्ता के उक्त नोएडा कार्यालय में किए गए हैं।

7. 23.11.2023 को सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पर आगे के तर्क सुने गए और विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि *"सोनल कनोडिया बनाम श्री राम गुप्ता एवं अन्य"* आ.प्र.अ. (वाणि.) 43/2023 दिनांक 20.02.2023 नामक मामले के आलोक में, न्यायालय के पास वर्तमान मामले पर विचार करने और आगे बढ़ने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता पर 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो प्रतिवादी को देय है।

<u>याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ:</u>

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश इस हद तक त्रुटिपूर्ण है कि यह इस बात को पहचानने में विफल रहता है कि वर्तमान वाद के साथ दायर किए गए दस्तावेज़ गौतम बुद्ध नगर न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को स्थापित करते हैं और विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को उचित ठहराने वाले वाद में दिए गए बयान अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज़ों के विपरीत हैं। नोएडा कार्यालय से उत्पन्न होने

वाले वाद हेतुक को नोएडा में याचिकाकर्ता के कॉर्पोरेट कार्यालय की उपस्थिति के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो कि मात्र एक कारखाना नहीं है, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए 25.02.2020 के विधिक नोटिस से स्पष्ट है, और इसलिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर के न्यायालयों के पास है।

9. विद्वान अधिवक्ता ***"हंट्समैन इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्लेर स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड"*** 2018 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 11810 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

10. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय के लिए सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के अंतर्गत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय वाद-पत्र के साथ-साथ दस्तावेज़ों पर विचार करना अनिवार्य है। ***मैसर्स आरएसपीएल लिमिटेड बनाम मुकेश शर्मा एवं अन्य*** 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन 4285 और ***"दहीबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली (गजरा) मृत एवं अन्य"*** (2020) 7 एस.सी.सी. 366 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सि.प्र.सं. की धारा 20(क) की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यदि वाद हेतुक उस स्थान पर उत्पन्न होता है जहाँ कॉर्पोरेट-प्रतिवादी का अधीनस्थ कार्यालय स्थित है, तो उस क्षेत्र के न्यायालयों के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा, जो उस क्षेत्र के न्यायालयों को अधिष्ठित करेगा जहाँ मुख्य कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय स्थित है। इसलिए, पंजीकृत कार्यालय के अस्तित्व मात्र से किसी न्यायालय को स्वतः ही क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता। ***"पटेल रोडवेज लिमिटेड बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी"*** (1991) 4 एससीसी 270 पर भरोसा किया गया है।

12. यह प्रस्तुत किया गया है कि माल के परिवहन के लिए संविदाओं में, परेषण का स्थान संविदा के निष्पादन का स्थान और वह स्थान है जहाँ वाद हेतुक उत्पन्न होता है। ***"डीएचएल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एनचांटे ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड"*** 2019 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 7146 के मामले पर भरोसा किया गया है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि **सोनल कनोडिया (पूर्वोक्त)** के निर्णय पर भरोसा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषपूर्ण ढंग से रखा गया है क्योंकि वर्तमान वादपत्र में अभिवचन वादपत्र के समर्थन में मौजूद दस्तावेज़ों के विपरीत हैं, जिन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने विचार नहीं किया है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष गलत हैं और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

<u>प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ:</u>

14. आरंभ में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका कुछ और नहीं बल्कि मात्र एक विलंबकारी रणनीति है, क्योंकि यह याचिका 14.02.2024 को दायर की गई थी, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा दायर संक्षिप्त निर्णय के आवेदन पर तर्क-वितर्क के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि 21.02.2024 थी।

15. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादपत्र में विशेष प्रकथनों से पता चलता है कि वाद हेतुक दिल्ली के न्यायालयों के साथ क्षेत्रीय अधिकार स्थापित करता है। सबसे पहले, दिल्ली में पक्षकारगण के बीच कथित तौर पर एक मौखिक अनुबंध हुआ और प्रत्यर्थी सं. 2 से 4, जो दिल्ली के निवासी हैं, ने इसकी सेवाओं को शामिल करने के लिए प्रत्यर्थी के दिल्ली कार्यालय से संपर्क किया। दूसरे, वादपत्र में याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध

बकाया राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त और कई दायित्व होने के बारे में विशेष प्रकथन दर्ज हैं। अंत में, वादपत्र में याचिकाकर्ता की स्थिति को एक परिवार द्वारा संचालित कंपनी के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रमुख स्थितियों पर हैं और पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं, वादपत्र के संगत पैराग्राफ़ के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा इस दावे को स्वीकार किया गया है। ये सभी प्राख्यान सामूहिक रूप से इस बात का समर्थन करते हैं कि इस मामले पर दिल्ली के न्यायालयों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

16. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी दिल्ली के भीतर एक अनुबंध में लगे हुए थे, जिसमें प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के लिए माल परिवहन करने के लिए प्रतिबद्ध था, जो बदले में उसे भुगतान करता। माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक परेषण पत्र में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध किया गया था कि परिवहन या सेवाओं से संबंधित किसी भी विवाद को दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हल किया जाएगा। यह उपबंध, जिसे "केवल दिल्ली अधिकार क्षेत्र के अधीन" के रूप में व्यक्त किया गया है, सभी मौजूद परेषण पत्रों में दोहराया गया है। इन परेषण पत्रों को, उनके अधिकार क्षेत्र के खंडों सहित, याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज़ों के प्रवेश-अस्वीकृति में स्वीकार किया गया है। परिणामस्वरूप, इन परेषण पत्रों के अनुरूप चालान तैयार किए गए, जिसमें परेषण पत्रों के विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।

17. उपरोक्त प्रतिविरोध के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने ***"ए.बी.सी. लेमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम ए.पी. एजेंसीज़, सालेम"*** 1989 (2) एससीसी 163 और ***"मेसर्स ऑटो मूवर्स बनाम ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़"*** सि.वि.(मु.) 604/2020 पर भरोसा किया।

<u>कारण और निष्कर्ष:</u>

18. विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या यहाँ दिल्ली के न्यायालयों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था।

19. विधि की सुस्थापित स्थिति यह है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के उपबंध पर विचार करते समय, वादपत्र की वापसी के संबंध में, केवल वादपत्र और उसके साथ दायर किए गए दस्तावेज़ों को ही देखा जाना चाहिए। लिखित बयान में उठाए गए बचाव को बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए।

20. याचिकाकर्ता की मुख्य प्रस्तुति यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बात की उपेक्षा की है और इस बात की विवेचना नहीं की है कि प्रत्यर्थी एक परिवाहक है, जो याचिकाकर्ता के माल को नोएडा फेज़-2 एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश में स्थित याचिकाकर्ता के कॉर्पोरेट कार्यालय से विभिन्न स्थानों पर याचिकाकर्ता के ग्राहकों तक ट्रकों में ले जाएगा। परेषण पत्र और चालान कॉर्पोरेट कार्यालय में तैयार किए गए थे, इस प्रकार, परेषण की शुरुआत का स्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेट कार्यालय होने के कारण, दिल्ली न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

21. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की प्रस्तुति है कि वाद के पक्षकारगण के बीच व्यावसायिक सौदे को प्रत्यर्थी के दिल्ली कार्यालय में मौखिक रूप से अंतिम रूप दिया गया था और प्रत्यर्थी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित है। साथ ही, 'परेषण पत्र' के निष्कासन खंड के आधार पर विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि केवल दिल्ली के न्यायालयों के पास ही अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, केवल दिल्ली के न्यायालयों के पास ही इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

22. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसका नोएडा में कॉर्पोरेट कार्यालय है, जो कोई

'कारखाना' नहीं है जहाँ से पूरा वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का अभिवाक् यह है कि माल की लदाई नोएडा में याचिकाकर्ता के कारखाना से हुई थी, जो कॉर्पोरेट कार्यालय नहीं है। इस प्रकार, सि.प्र.सं. की धारा 20 का स्पष्टीकरण इस मामले में लागू नहीं होगा।

23. वादपत्र के पैराग्राफ़ 20 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने अपने कार्यालय से परिवहन आदेश दिए थे, जो दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता के कार्यालय से पक्षकारगण के बीच ईमेल का आदान-प्रदान किया गया, जो दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता द्वारा 08.01.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजे गए अपने आंशिक दायित्व को स्वीकार करने वाले खाते याचिकाकर्ता द्वारा अपने कार्यालय से भेजे गए थे। प्रत्यर्थी ने अभिवाक् दिया है कि स्पष्ट है, वाद हेतुक का एक हिस्सा दिल्ली में भी उत्पन्न हुआ है।

24. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने सि.प्र.सं. की धारा 20 के स्पष्टीकरण पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है, लेकिन इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में स्थित है, जहाँ से याचिकाकर्ता कंपनी के ग्राहकों को वितरित करने के लिए माल की लदाई की जाती है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के न्यायालयों को पक्षकारगण के विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा और दिल्ली के न्यायालयों पर वरीयता प्राप्त होगी जहाँ पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

25. प्रत्यर्थी का दावा है कि यह गौतम बुद्ध नगर में याचिकाकर्ता का कारखाना है, जहाँ से माल को याचिकाकर्ता के ग्राहकों को वितरित करने के लिए ट्रकों में लादा गया था। अभिलेख से पता चलता है कि कारखाना और याचिकाकर्ता के कार्यालय का पता एक ही है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने बयान दिया है।

26. प्रासंगिक रूप से, प्रत्यर्थी द्वारा जिन परेषण पत्रों पर इतना अधिक भरोसा किया गया है, उन्हें संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उसे केवल उस पर उल्लिखित याचिकाकर्ता के पते का पता लगाने के लिए भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। 'परेषण पत्रों' को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निष्कासन खंड के आधार पर, यह अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करता है और केवल दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड"** 2004 4 एससीसी 677 के मामले में इस मुद्दे पर चर्चा की है। जिसके प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:

> "16. यदि परेषण पत्र में केवल यह दर्शाया गया होता कि मुख्यालय शहर में स्थित न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, तो स्थान के स्पष्ट संकेत के अभाव में परिणाम क्या होता, इस समय हम इस बात से चिंतित नहीं हैं, विशेषकर तब, जब परेषण पत्र में ही यह दर्शाया गया था कि केवल उदयपुर स्थित न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है।
>
> 17. जैसा कि इस न्यायालय ने श्रीराम मामले [(2002) 9 एससीसी 613: एआईआर 2002 एससी 2402] में हाकम सिंह मामले [(1971) 1 एससीसी 286: एआईआर 1971 एससी 740] का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की थी कि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अनुबंध अवैध नहीं है। विवादों का निर्णय करने के लिए पक्षकारगण को दो सक्षम न्यायालयों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है। एक बार जब पक्षकारगण स्वयं को इस तरह से बाध्य कर लेते हैं तो उनके लिए अलग अधिकार क्षेत्र चुनना संभव नहीं होता।
>
> 18. तथ्यात्मक और विधिक स्थिति से ऊपर, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द करना न्यायोचित नहीं था। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ चुने गए

न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसलिए, एकमात्र प्रश्न अन्य न्यायालयों के अपवर्जन से संबंधित है।

19. किसी विशेष न्यायालय के संदर्भ में "केवल", "मात्र", "अनन्य" और इसी तरह के शब्दों के प्रयोग से पक्षकारगण के आशय का पता लगाया जा सकता है। लेकिन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का आशय स्पष्ट, असंदिग्ध, स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे मामले में केवल संविदा की स्वीकृत धारणाएँ ही पक्षकारगण को बाध्य करेंगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना न्यायोचित था कि केवल उदयपुर के न्यायालय को ही विचारण की सुनवाई करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटते समय प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बहाल करते हैं। बरनाला का न्यायालय वादी 1 (प्रत्यर्थी 1) को अपनी मुहर के अधीन उचित समर्थन के साथ वादपत्र वापस करेगा, जो इसे उदयपुर के उचित न्यायालय के समक्ष वापसी के ऐसे समर्थन की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो परिसीमा का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और वाद का निर्णय विधि के अनुसार अपने गुणागुण के आधार पर किया जाएगा। अपील स्वीकार की जाती है। कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता।"

28. **ए.बी.सी. लेमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (पूर्वोक्त)** नामक मामले में निष्कर्ष का उल्लेख करना प्रासंगिक है, क्योंकि निर्णय अपने अलग तथ्यों के आधार पर तय किया गया है।

"21. उपर्युक्त निर्णयों से यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहाँ ऐसा निष्कासन खंड होता है, वहाँ यह देखना आवश्यक है कि क्या अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निष्कासन हुआ है। जब खंड स्पष्ट, असंदिग्ध और विशिष्ट स्वीकृत धारणाएँ संविदा के पक्षकारगण को बाध्य करती हैं और जब तक कि मतैक्य की अनुपस्थिति नहीं दिखाई जा सकती, अन्य न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचना चाहिए। निष्कासन खंड के निर्माण के संबंध में जब "केवल", "मात्र", "अनन्य" और इसी तरह के शब्दों का

> उपयोग किया गया है तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ तक कि उचित मामलों में ऐसे शब्दों के बिना भी, कहावत "एक की अभिव्यक्ति दूसरे का बहिष्कार है" को लागू किया जा सकता है। उपयुक्त मामला क्या है यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसे मामले में एक चीज़ का उल्लेख दूसरे के बहिष्कार को दर्शा सकता है। जब किसी संविदा में निश्चित अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट किया जाता है तो ऐसे मामलों में अन्य सभी को इसके संचालन से बाहर करने का आशय निकाला जा सकता है। इसलिए इसे उचित रूप से समझा जाना चाहिए।"

29. परेषण पत्र पर, यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि "केवल दिल्ली अधिकार क्षेत्र के अधीन है", इसलिए निष्कासन खंड विशिष्ट और स्पष्ट है। केवल इसलिए कि वाद हेतुक का एक भाग नोएडा, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, जहाँ याचिकाकर्ता का कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है, विशिष्ट निष्कासन खंड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा। इसलिए, इस आदेश को अपास्त करने का कोई कारण नहीं दिखता है, यह देखते हुए कि, दिल्ली के न्यायालयों के पास वाद की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

30. परिणामस्वरूप, सभी लंबित आवेदनों सहित याचिका खारिज की जाती है।

न्या. शालिंदर कौर

28 मई, 2024/एसएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*